निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 363) पटना, सोमवार, 13 जून 2022

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप
10 जून 2022

एस0ओ0 97, दिनांक 13.6.2022—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित नियोजनों में नियोजित कुछेक कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रारूप

अनुसूची

क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. घरेलू कामगार नियोजन

प्रस्ताव प्रारूप

अनुसूची–I

क्र०सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक–01.12.2016 को निर्धारित न्यनूतम मजदूरी की दरें	दिनांक–01.04.2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	दिनांक–01.04.2022 को निर्धारित न्यनतम मजदूरी की दरें कुल (3+4)	दिनांक–01.04.2022 को निर्धारित के दर पर 15% वृद्वि के पुनरीक्षण का लाभ	पुनरीक्षण के पश्चात् प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3	4	5	6	7
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना / बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना / कपडा धोना एक हजार स्कावयर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना / बरतन धोना / पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	5645.00	1958.00	7603.00	1140.00	8743.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना / बरतन धोना / पोछा लगाना / बच्चों की देखभाल करना / बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना (08 घंटा) लिपिकीय	5645.00	1958.00	7603.00	1140.00	8743.00 प्रतिमाह

टिप्पणी :– (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) 8163.00 जो वर्ष, 2021 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई–दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 20.03.2022 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 34% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्त्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(सं0–5/एम0डब्लू0–40–13/2021 श्र0सं0–1896)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
संयुक्त सचिव।

10 जून 2022

एस0 ओ0 98, एस0 ओ0 97, दिनांक 13.6.2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0–5/एम0डब्लू0–40–13/2021 श्र0सं0–1897)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
संयुक्त सचिव।

The 10th June 2022

DRAFT NOTIFICATION

S.O.97, dated 13.06.2022–The following draft of proposal to revise the minimum rates of wages fixed in the State Government so many Notifications for certain categories of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, Which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act for the information of persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken in to consideration after two months from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.

Draft Proposal

Schedule

Sl. No. Name of Scheduled Employments

1.Domestic Workers Employment

Draft Proposal

Schedule-I

Sl No.	Categories of Workers	Minimum Rates of Wages as on date 01.12.2016	V.D.A Payable as on date 01.04.2022	Minimum Rates of Wages as on date 01.04.2022 (3+4)	15% Existing on Minimum Wages Rate	Proposed Minimum Rates of Wages After revision
1	2	3	4	5	6	7
1	Washing the utensils (One hours)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 Per month
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (One hours)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 Per month
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (One hours)	707.00	240.00	947.00	142.00	1089.00 Per month
4	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	5645.00	1958.00	7603.00	1140.00	8743.00 Per month
5	Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works.(Eight hours)	5645.00	1958.00	7603.00	1140.00	8743.00 Per month

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 8163.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2021 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.03.2022 by adding 15% additional after the 34% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

(No.-5/M.W-40-13/2021 L & R -1896)
By order of the Governor of Bihar,
Gajendra Kumar Mishra,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 363-571+100-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in